International Journal of Multidisciplinary Education and Research
ISSN: 2455-4588; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 01-09-2019; Accepted: 03-10-2019
www.educationjournal.in
Volume 4; Issue 6; November 2019; Page No. 07-10

शिक्षा अधिकार अधिनियम के समक्ष चुनौतियां एवं समाधानः अपवंचित विद्यार्थियों विशेष सन्दर्भ में

अमितेश कुमार सिंह [1], डॉ. मुनेश कुमार [2]

[1] असिस्टेंट प्रोफेसर, अध्यापक शिक्षा संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

[2] विभागाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उत्तर–प्रदेश, भारत

सारांश

प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम है। यह अधिकार शिक्षा हासिल करने को हर बच्चें का अधिकार बनाता है। यह अधिकार सभी सम्बन्धित सरकारों के लिए सुनिश्चित करना बाध्यकारी करता है कि हर बच्चा अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में वंचित वर्ग के बच्चों के लिए विशेष प्रावधान किये गये है। सभी निजी शिक्षण संस्थानों को अपने यहां 25 फीसदी सीटें कमजोर तबके के बच्चों के लिए रखना अनिवार्य किया गया है। इस संवैधानिक सच के उलट वास्तविकता कुछ और बयां करती है। जहां एक ओर बच्चों का विद्यालय से बाहर होना अधिकार अधिनियम पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, वही यह भी प्रश्न उठता है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम व्यावहारिकता की कसौटी पर खरा क्यों नही उतर पा रहा है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद स्कूलों की संख्या और उसमें दाखिलें में भारी बढ़ोत्तरी हुई है, पर शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट हुई है। वंचित वर्ग के बच्चों की स्कूल छोड़ने की दर लगातार जारी है। अधिनियम में उल्लिखित छात्र–शिक्षक अनुपात, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बीच में स्कूल छोड़ने की स्थिति, सही ढ़ग से अधिनियम का क्रियान्वयन न हो पाना, समुदाय एवं पंचायती राज की निष्क्रिय भागीदारी आदि शिक्षा अधिकार अधिनियम के सफल होने में चुनौतियां बनी हुई है।

मूल शब्दः प्रारम्भिक शिक्षा, विद्यार्थियो, सर्वव्यापीकरण, ऐतिहासिक

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी व्यक्ति, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति का आधार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान के भाग 4, अनुच्छेद 45 में राज्य को सुझाव दिया है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे। 26 जनवरी सन् 1950 को संविधान लागू होने के पश्चात् विभिन्न राज्यों ने अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग–अलग प्रयास किये। चूँकि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्व शिक्षा राज्य सूची के अन्तर्गत एक विषय था, इसलिये इस विषय पर कोई राष्ट्रीय सहमति नही बन पायी। सन् 1966 में कोठारी आयोग ने देश के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूली शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की थी। कोठारी आयोग ने कहा था कि सरकार शिक्षा पर खर्च इस तरह बढ़ाये कि आगामी 20 वर्षों में यानी 1986 तक यह सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) का 6 प्रतिशत हो जाये। जाहिर है यह लक्ष्य हासिल किया गया होता और बरकरार रखा गया होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। इसी तरह 1974 में घोषित बाल नीति, 1986 की नई शिक्षा नीति एवं प्रोग्राम ऑफ एक्सन (1992) के तहत प्रयास किये गये किन्तु हर बात दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी आड़े आती रही।

भारत ने 1992 में संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इस चार्टर की धारा 8 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की बात कही गयी है। इस चार्टर के मुताबिक 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को बालक/बालिकाएँ माना गया किन्तु हस्ताक्षर करने के बावजूद भारत में इसे लेकर प्रतिबद्धता नही दिखायी गयी।

आज तक भारतीय शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कदम माना जायेगा 1993 के उच्चतम न्यायालय के जस्टिस उन्नीकृष्णन का फैसला, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 45 में निर्देशित 14 साल की उम्र तक के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा देने की बात की गयी थी। इस फैसले के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चों को सन्तुलित पोषण, स्वास्थ्य, सुरक्षित बचपन और पूर्व प्राथमिक शिक्षा (के0जी0 नर्सरी) का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया था। इसी तरह 6 से 14 वर्ष के उम्र के सभी बच्चों को 8 साल की पढ़ाई की प्रारमिभक शिक्षा की व्यवस्था का आदेश था। फैसले में यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 41 के अनुसार शिक्षा का अधिकार 14 साल की उम्र के बाद भी बरकरार रहेगा यानी कक्षा 12 तक की माध्यमिक और उसके बाद तकनीकी एवं प्रोफेशनल शिक्षा भी इसके दायर में आयेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि जहाँ 14 वर्ष उम्र तक के बच्चों का शिक्षा के मौलिक अधिकार देने में सरकार को पैसे की कमी का बहाना करने की इजाजत नहीं है, वहीं 14 वर्ष के बाद की शिक्षा का अधिकार राज्य की आर्थिक स्थिति एवं विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए सीमित किया जा सकता है।

उन्नीकृष्णन फैसले के फलस्वरूप ही 86वें संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जीवन के अधिकार के साथ अनुच्छेद 21 क के रूप में जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार कानून जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, उन्नीकृष्णन फैसले का प्रतिफल है।

भारतीय समाज में पिछड़े वर्गो में शामिल अनुसूचित जाति व जनजाति दोनों का शिक्षा क्षेत्र में पिछड़ेपन का मुख्य कारण पहुँच का अभाव है। जहां दलित वर्ग सामाजिक के कारण सदियों से अज्ञानता का शिकार रहा वही जनजाति भौगोलिक अलगाव के कारण।

अपवंचित विद्यार्थी/वंचित समूह का बच्चा

इसका अर्थ है वह बच्चा जो उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित किसी समूह जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लैंगिक या इसी तरह के अन्य किसी कारण के कारण असुविधा है, से संबध रखता है। कमजोर वर्ग के बच्चे से तात्पर्य है बच्चे के अभिभावकों मा माता–पिता की वार्षिक

आमदनी, उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचित आमदनी की निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम है। शिक्षा अधिकार अधिनियम में ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किये गये है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009

अप्रैल 2010 में लागू किया गया शिक्षा का अधिकार कानून,रकारी समावेशी विकास की नीति का एक अहम हिस्सा है। निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को यथार्थ के धरातल पर उतारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उ0प्र0 निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 अधिसूचित की है। इस नियमावली के प्रावधानों को लागू करने में बेसिक शिक्षा विभाग व्यावहारिक चुनौतियाँ महसूस कर रहा है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी–2011) के अनुसार भारत में 88.4 करोड़ से ज्यादा की ग्रामीण आबादी में से 36 फीसदी निरक्षर यानी 31.57 करोड़ लोग निरक्षर है। इनमें अधिकांश जनसंख्या वंचित वर्ग की है। दुनिया के किसी भी देश में निरक्षरों की यह सबसे बड़ी संख्या है।

शिक्षा के अधिकार कानून के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं

- 6–14 वर्ष तक के हर बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
- बच्चों को शिक्षा देना माता–पिता का मौलिक कर्तव्य बना दिया गया है। अतः अब अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को स्कूल भेजें।
- बच्चों के लिये घर से प्राथमिक शिक्षा के लिए एक किमी दूरी तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन किमी के दायरे में ही स्कूल की व्यवस्था।
- सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में प्रवेश के समय कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी जायेगी।
- किसी प्रकार की फीस नही ली जायेगी तथा बच्चों के प्रवेश परीक्षा पर भी प्रतिबन्ध।
- प्रशिक्षित शिक्षक ही बच्चों को पढ़ाने का कार्य व अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण का प्रावधान।
- कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से मना नहीं करेगा।
- शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना, चुनाव कार्य एवं आपदा राहत के अलावा अन्य किसी भी कार्य में न लगाना।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय शिक्षा इतिहास के बदलाव की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के समक्ष चुनौतियाँ

'शिक्षा का अधिकार अधिनियम' के सात अध्याय और एक अनुसूची एक ओर तो परिवर्तन की बयार की ओर इशारा करते है तो दूसरी ओर बहुत से चुनौतियाँ भी सामने रखते हैं–

विद्यालय तक पहुँच

शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद बड़ी संख्या में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गये है। विशेषकर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 1 किमी की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय एवं 2 कि0मी0 की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य कापी हद तक प्राप्त कर लेने का दावा किया जा रहा है, परन्तु जब तक सुदूर एवं दुर्गम ग्रामीण अंचलों में विद्यालय तक पहुचने के जोखिम कम नहीं किये जाते है तब तक शिक्षा अधिकार अधिनियम के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सम्भव नहीं हो सकेगा। वंचित वर्ग खासकर अनुसूचित जनजातियां जिन क्षेत्रों में रह रही है, वहां विकास की रफ्तार धीमी गति से हो रहा है।

सामाजिक बाधायें एवं जातीय मुद्दे

भारतीय समाज में जातीय पहचान महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। अपवंचित वर्ग के बच्चें अपने उम्र एवं समूह के उच्च वर्ग के बच्चों द्वारा अलग–थलग किये जाते है। घर से मिला हुआ बच्चों को जातीय पहचान उनके सामाजीकरण को प्रभावित करता है जिसके कारण अपवंचित वर्ग के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक भी समाजिक बाधाओं कों बढ़ाने में योगदान दे रहे है। शिक्षक भी अपवंचित बच्चों के साथ जातीय एवं सामाजिक विषमता को बढ़ावा दे रहे है। मध्याहन भोजन योजना में निम्न जातियों के महिलाओं द्वारा बनाया गया भोजन उच्च वर्ग के बच्चों द्वारा ग्रहण ना किया जाना हमेशा चर्चा में रहता है। अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन बताते है कि ग्रामिण क्षेत्रो में यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण एवं अधिक है। नगरीय क्षेत्रो में यह समस्या आर्थिक आधार पर बने वर्ग के बीच भेद–भाव को केन्द्रित कर आगे बढ़ रहा है।

भौगोलिक समस्या

भौगोलिक रूप में भारत अत्यन्त विषमताओं को समेटे हुए है। जहां एक ओर जनजीवन सुगमता के साथ जीवन यापन करता है, वहीं दूसरी ओर दुर्गम एवं अगम्य क्षेत्र भी है। इन दुर्गम एवं अगम्य क्षेत्रों में मानव जीवन यापन बहुत कष्टकारी है। भारत में वंचित समुदाय की निर्भता भौगोलिक वातावरण से सकारात्मक सम्बन्ध रखती है। पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षा विद्यालयों की संख्या कम है जिसके कारण अपवंचित वर्ग के बच्चे भौगोलिक मार भी झेल रहे है।

नीतियों का क्रियान्वयन

शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 लागू होने के बाद नीतियों का सही ढंग से क्रियान्वयन नही हो पा रहा है। अधिनियम अपने आप में सभी को शिक्षित करने हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त करता है लेकिन अनेक नीतियों में विसंगतता के कारण पूरा होने में असफल साबित हो रहा है। स्वच्छ एवं पारदर्शी देख–रेख भी नही हो पा रहा है। शहरी क्षेत्रों में नीतियों के कारण निजी विद्यालय फल–फूल रहे है जबकि सरकारी विद्यालयों में स्थानीय लोगों द्वारा पशुगाह एवं अन्य उपयोगी कार्यो हेतु प्रयोग किये जा रहे है।

प्रशासनीय विफलतायें

विद्यालय प्रबन्ध समिति, केन्द्रीय सरकार, समुचित सरकार एवं स्थानिय प्राधिकारी को शिक्षा अधिकार अधिनियम– 2009 में प्रशासनिक कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व दिये गये है। इन कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को प्रशासन नही निभा पा रहा है। समय–समय पर घटित होने वाली घटनायें प्रशासनीय विफलताओं को दिखाती है। बीते दिनों उत्तर–प्रदेश के मीरजापुर जनपद की मिड–डे–मील में नमक–रोटी दिये जाने की घटना सुर्खीयों में रही जो प्रशासनीय विफलता को दर्शाती है। पैसे के बदले शिक्षको की उपस्थिति, नियुक्त शिक्षक के बदले किसी अन्य शिक्षक द्वारा कार्य एवं विद्यालयों में शिक्षको द्वारा शिक्षण कार्य न किया जाना भी प्रशासनीय विफलतायें है। प्रशासनीय विफलताओं का सर्वाधिक प्रभाव अपवंचित वर्ग के बच्चों पर पड़ता है क्योंकि सरकारी विद्यालयों में इसी वर्ग की संख्या सर्वाधिक होती है। कई सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट इंगित करती है कि सरकारी विद्यालयों में सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों का अनुपात कम है।

भाषायी एवं अध्ययन सम्बन्धी मुद्दे

अपवंचित वर्ग के बच्चों के लिए भाषायी एवं अध्ययन सम्बन्धी मुद्दा प्रमुख है। भारत के ऐसे कई क्षेत्र खासकर उत्तर–पूर्व भारत में एक ही जनपद में कई भाषा एवं बोलियां प्रयोग में लायी जाती है। ऐसे क्षेत्रों में भाषा एवं अध्ययन सम्बन्धी समस्या लगातार बनी हुई है। सम्बन्धित मातृ भाषा में पाठ्य–पुस्तकें एवं शिक्षक समुचित रूप से उपलब्ध नही हो पा रहे है जिससे ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चें प्रभावित हो रहे है एवं शिक्षा अधिकार अधिनियम– 2009 में उल्लिखित मातृ–भाषा में शिक्षा का उलंघन हो रहा है।

स्थायीय सरकारों की भूमिका

शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के क्रियान्वयन में स्थानीय सरकारों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक–आर्थिक स्थिति से स्थानीय सरकार बहुत अच्छे ढंग से परिचित होती है जो ग्रामीण शिक्षा एवं विकास के लिए कार्य कर रही होती है। इन स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले अपवंचित वर्ग के बच्चों के सम्बन्ध में स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसे सभी बच्चों को विद्यालय तक पहुंचा कर उनकी शिक्षा को पूर्ण कराएं। विद्यालय छोड़ने की सर्वाधिक दर अपवंचित वर्ग के बच्चों की ही है। विद्यालय छोड़ने की समस्या का हल बहुत हद तक स्थानीय सरकारों द्वारा किया जा सकता है लेकिन ये स्थानीय सरकारें असफल साबित हो रही है।

25ः सीटो सम्बन्धी मुद्दा

अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए 25ः सीटें निजी विद्यालयों में आरक्षित की जाएगी। यह प्रावधान एक बेहतर सामाजिक व्यवस्था के निर्माण और विकास में मदद कर सकता है। आज के संदर्भ में इस प्रावधान में लूट–खसोट मची है। सरकार निजी विद्यालयों में इन 25ः सीटों के लिए उपयुक्त धनराशि मुहैया करा रही है लेकिन निजी विद्यालय इस व्यवस्था में मनमानी कर रहें है। सामाजिक–आर्थिक रूप से अक्षम सीटों के सापेक्ष प्रवेश प्राप्त बच्चों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे बच्चों की अलग कक्षा एवं वर्ग से पहचान की जा रही है जो उसी विद्यालय में पढ़ रहे सक्षम बच्चों के बीच भेद–भाव की विसंगतियां पैदा कर रहा है। यह स्थिति गरीब एवं अमीर बच्चों के बीच भयावह खाई बना रहा है।

समाधान

यदि हम यर्थाथ रूप से अपने देश के सारे बच्चों को अच्छी, गुणवत्तपूर्ण शिक्षा देना चाहते है, तो हमें शिक्षा का अधिकार कानून 2009 को सफल बनाने हेतु निम्नलिखित समाधान को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम को क्रियान्वित करना होगा–

- सर्वप्रथम देश में समान स्कूल प्रणाली लागू की जानी चाहिए जिसमें एक जगह के सारे बच्चे अनिवार्य रूप से एक ही स्कूल में पढ़ने चाहिए। अपवंचित वर्ग के बच्चों को लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- संसद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को प्रस्तुत करते हुए स्वयं मानव संसाधन विकास मंत्री ने स्वीकार किया था कि देश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की संख्या वर्तमान आवश्यकता की आधी है तथा यह भी स्वीकार किया था कि राज्यों में पर्याप्त संख्या में स्कूल नहीं है। अतः स्पष्ट है कि देश में 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर नये स्कूलों का निर्माण करवाना चाहिए। स्कूलों के निर्माण के समय अपवंचित वर्ग के बच्चों की पहुँच का विशेष ख्याल रखना होगा जिससे ऐसे वर्ग के बच्चे प्रारम्भिक शिक्षा के नामांकन एवं ठहराव को बनाये रख सके।
- शिक्षा में सभी प्रकार का सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव और गैर–बराबरी समाप्त की जानी चाहिए।
- शिक्षा अधिकार अधिनियम में शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 रखा गया है जिसका सख्ती से पालन होना चाहिए। इस कार्य हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति अधिक संख्या में किये जाने चाहिए एवं उन्हें समय–समय पर विशेष प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे सभी बच्चे को एक समान शिक्षा देने में अपना योगदान दे सके।
- शिक्षकों से गैर–शिक्षकीय कार्य लेना पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए। इसका सीधा सम्बन्ध वंचित वर्ग के बच्चों के शिक्षा प्रभावित होने से है क्योंकि वंचित वर्ग के अधिकांश बच्चे सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करते है।
- प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए। वंचित वर्ग के बच्चे अपनी अलग–अलग संस्कृति और सभ्यता से आते है। उनकी अपनी मातृभाषा में अधिगम प्रक्रिया आसानी से हो पाती है और वे रूचि के साथ–साथ सहजता प्रगट करते है।
- शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु समुचित संस्थानों की व्यवस्था की जानी चाहिए व कर्तव्य निर्वाह न करने वाले शिक्षकों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए।
- वंचित वर्ग के बच्चों हेतु निजी विद्यालयों में आरक्षित 25ः सीटो पर खास नजर रखने की जरूरत है। आरक्षित सीटो के नाम पर निजी विद्यालयो और सरकारें खेल करती है। स्थानीय प्राधिकार को इस मुद्दे पर सजग रहने की आवश्यकता है।
- कोई भी स्कूल कैपिटेशन फीस प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से न ले सके, इस पर रोक लगाने हेतु सभी स्कूलों में फीस की एक समान राशि निश्चित की जानी चाहिए। अगर कोई स्कूल दोषी पाया गया तो उसके लिये मान्यता समाप्ति के साथ–2 कठोर दंड़ का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- जो अभिभावक 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल नही भेजते है, उनके लिये कठोर दण्ड का प्रावधान किया जाना चाहिये।
- स्थानीय प्राधिकार को अधिक भूमिका को निभाने के लिए और अधिक अधिकार दिये जाने की आवश्यकता है जिससे स्थानीय प्राधिकार पूर्ण रूपेण सक्रिय रहकर वंचित वर्ग के बच्चो को विद्यालय में दाखिल कराकर तथा ठहराने में योगदान कर सके ।
- शिक्षा अधिकार अधिनियम से सम्बंधित नीतियों का क्रियान्वयन सही ढंग से किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

किसी भी राष्ट्र के विकास की जिम्मेदारी शिक्षा पर निर्भर करती है। भारतीय जनमानस की अधिकांश जनसंख्या किसी न किसी रूप में अपवंचन का शिकार है। इस अपवंचित वर्ग के बच्चों को मुख्य धारा में लाने हेतु शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 में समाहित संकल्पना को ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठ उत्तरदायित्व के साथ पूर्ण करना होगा। इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर सरकार एवं समाज को पैनी नजर रखनी होगी जिससे भारतीय संविधान में व्यक्त उद्घोष को साथ लेकर चलते हुए अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करते हुए सर्व शिक्षित भारतीय समाज की स्थापना कर सकें।

संदर्भ सूची

1. अरोरा, रंजना एवं राजरानी. (2010). शिक्षा का मौलिक अधिकार कुछ मुद्दे और कुछ चुनौतियां, भारतीय आधुनिक शिक्षा, नई दिल्लीः एन.सी.ई.आर.टी., पृ.स. 5–15.
2. सिंह, अमितेश कुमार एवं कुमार, मुनेश. (2017). शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 की व्यावहारिक प्रासंगिकता, एकेडमिक सोसल रिसर्च, अकं–3, पृ.स. 49–51
3. सिंह, अमितेश कुमार एवं कुमार, मुनेश. (2017). अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षाः संवैधानिक प्रावधान, नीतियां एवं चुनौतियां, भारत में समावेशी शिक्षाः वर्तमान स्थिति, चुनौतियां एवं समाधान, कुमार, रामचन्द्र एवं विश्वकर्मा, विजय कुमार (संपादक), नई दिल्लीः विक्टारियस पब्लिसर्ज (इंडिया), पृ.स. 182–194.
4. श्रीनिवास राव, एस. (2015). वांचितों के लिए शिक्षाः चिंताएं, चुनौतियां और भावी योजनायें, योजना, वर्ष 60 अंक 1, नई दिल्ली, पृ.स. 58–60.
5. भारत का राजपत्र. (2010). नई दिल्लीः भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अप्रैल 09, 2010.
6. झा, कमल नाथ. (2019). शिक्षा प्रबंधन में समुदाय की सहभागिता, कुरुक्षेत्र पत्रिका, वर्ष 66, अंक 1, पृ.स. 50–52.
7. यादव, सतीष कुमार. (2015). ग्रामीण भारत में बेहतर स्कूली शिक्षाः उपलब्धियां एवं चुनौतियां, कुरुक्षेत्र पत्रिका, वर्ष 66, अंक 1, पृ.स. 18–23.
8. सोनाल, योत्स्ना (2014). भारतीय जनजातीय समूहों के शैक्षिक विकास में असमानताएं उत्तराखण्ड के जनजातीय समूहों का अध्ययन, परिप्रेक्ष्य, न्यूपा, वर्ष 21, अंक 1, पृ.स. 39–60.